संख्या : 1136 / IV(1)/2009–63(कुम्भ) / 2008

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2009

विषयः कुम्भ मेला, 2010 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत हरिद्वार में डाम कोठी के समीप गंगा नहर के ऊपर 100 मीटर लम्बाई के सेतु के निर्माण हेतु संशोधित लागत एवं द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 190 / IV(1)/2009–63(कुम्भ) / 2009 दिनांक 28.01.2009 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रू. 434लाख के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू. 432.73लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए, रू. 200लाख की धनराशि को व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या 1245 / कु.मे. / लो.नि. वि., हरिद्वार दिनांक 05.9.2009 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उक्त स्वीकृत कार्य हेतु प्रेषित रू. 499.05लाख के संशोधित आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू. 433.57लाख में से पूर्व स्वीकृत धनराशि रू. 200लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू. 233.57लाख (रू. दो करोड़ तैतीस लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2009–10 में आहरित / व्यय किए जाने की भी श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्तानुसार संशोधित / पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति अपवादस्वरूप निर्गत की जा रही है एवं इसका किसी अन्य निर्माण कार्य की स्वीकृति के संदर्भ में दृष्टांत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का चार बराबर किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही दूसरी किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा। यदि पूर्व अवमुक्त धनराशि बैंक में रखकर उस पर व्याज अर्जित हुआ है तो उस समस्त अर्जित व्याज को राजकोष में ट्रेजरी चालान से जमा करके उसकी फोटोप्रति शासन को अविलम्ब उपलब्ध करवाने का दायित्व मेलाधिकारी का ही होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष 80प्रतिशत धनराशि का व्यय कर लिए जाने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने पर ही अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने पर शासन द्वारा विचार किया जाएगा।
4. चूँकि निविदा में प्राप्त एल–1 निविदा (न्यूनतम निविदा) आधार पर स्वीकृत लागत से कम धनराशि व्यय होना सम्भावित है। अतः न्यूनतम सम्भावित व्यय के अनुसार ही कम धनराशि आहरण की जाएगी तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि बचत होती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जाएगा।
5. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जाएगा और आगणन का पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।
6. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 15दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
9. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता / मेलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
11. उक्त कार्य या इसके किसी भाग हेतु यदि विभागीय बजट से कोई धनराशि अवमुक्त की गई है तो उस सीमा तक धनराशि का कोषागार से आहरण न करके शासन को सूचित कर दिया जाएगा।
12. शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांक 28.01.2009 के अनुसार लागू रहेंगे।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 1614/IV(1)/2009–39(सा.)/2006–टी. सी. दिनांक 24नवम्बर, 2009 के द्वारा मेलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई धनराशि रू. 100करोड़ के सापेक्ष आहरित कर किया जाएगा तथा पुस्तांकन तद्स्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 479/XXVII(2)/2009 दिनांक 14दिसम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या :1136 (1)/IV(1)/2009 तद्दिनांक। 15/12/09

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनुसचिव।